संख्या- 22 /2018/832 /30-3-18-6बी/2014

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनॉक 12 मार्च, 2018

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 02-01-2018 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-178स0सु0/2018-73स0सु0/2014, दिनॉक 07-02-2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 02-12-2014 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 में सड़क सुरक्षा कोष विभिन्न कार्यो हेतु शासनादेश संख्या-51/2016/2102/30-3-2016-06बी/2014, दिनांक 17.08.2016 द्वारा धनराशि रू0 615.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। उक्त निर्गत की गयी धनराशि का व्यय न होने के कारण कोष प्रबन्धन समिति की आहूत बैठक दिनांक 27.12.2016 में पुनर्वैधीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति की बैठक दिनांक 27.12.2017 में अनुमोदनोपरान्त शासनादेश दिनांक 15.05.2017 तथा दिनांक 05.12.2017 द्वारा निर्गत धनराशि में से सड़क सुरक्षा सेल के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन मद तथा क्रय किये गये वाहनों, उपकरणों का अनुरक्षण, मरम्मत, कार्यालय व्यय/रखरखाव, सेल एवं टेलीफोन आदि मदों में व्यय न हो सकने वाली धनराशि रू0 292.00 लाख के प्रस्ताव पर कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 02.01.2018 में विभिन्न मदों में व्यय के लिए पुनर्वैधीकरण हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं0	प्रस्तावित कार्य	प्रस्तावित व्यय (लाख रू0 में)
1.	व्यावसायिक वाहन चालकों को सुरक्षित चालन का प्रशिक्षण	24.25
2.	राज्य के विद्यालयों के नामित नोडल शिक्षकों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण	18.75
3.	मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गुड सेमेरिटियन (नेक आदमी) के संरक्षण एवं बचाव हेतु दिए गए निर्देशों के दृष्टिगत प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यकतानुसार होर्डिंग लगाये जाने हेतु	75.00
4.	परिवहन सवारी वाहनों/स्कूल बसों के पैनल पर सड़क सुरक्षा संदेश के लिए शीट लगाने हेतु	45.00
5.	सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत एफएम/रेडियो/टेलीविजन/एमएमएस आदि विभिन्न माध्यमों से सड़क सुरक्षा सम्बन्धी संदेश का प्रसारण	100.00
6.	बरेली एवं कानपुर नगर में नवनिर्मित ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के संचालन एवं रख-रखाव हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से चयनित वेन्डर के लिए औसतर रू0 02.00 लाख प्रति माह प्रति केन्द्र	25.00
7.	सड़क सुरक्षा सेल के कर्मचारियों हेतु 05 कम्प्यूटर प्रिन्टर सहित एवं 02 मल्टीपरपज प्रिन्टर का क्रय	4.00
	कुल योग =	292.00

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- कोष प्रबन्धन समिति की बैठक 02.01.2018 में दिये गये अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित प्रस्तर-1 की तालिका में उल्लिखित कार्यो के विवरण के अनुसार धनराशि रू0 292.00 लाख के व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03-08-2017 तथा क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

(4) उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के राजस्व मद के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

(5) उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या-22/2018/832(1)/30-3-2018, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।